न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 154 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 महेश बागडी पुत्र विजय शंकर जाति खटीक निवासी जनता मार्ग, खटीक वाड़ा, सुरजपोल, उदयपुर, जिला— उदयपुर राज0।		1. कुनाराम पुत्र वेलाराम 2. सुखीया पुत्री अचलाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास के का0मु0 2/1 वेनाराम 2/2 नीतु 2/3 अंजु पिसरान सुखीया पत्नी पेमाराम पुत्री अचलाराम, जातिगण मेघवाल निवासीगण धीनावास तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे, श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 17/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम धीनावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 771 के खसरा नम्बर 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर की भूमि प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है तथा उक्त भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.1300 हैक्टर की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आई हुई स्थित है, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर भूमि जो कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की है जिस पर वक्त खरीद से प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा प्रार्थी व पूर्व में दर्ज खातेदारान के मध्य न्यायालय द्वारा विधिक बंटवाड़ा हो रखा है, जिससे प्रार्थी के नाम नामान्तरण संख्या 2156 दिनांक 27/07/2023 स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज की गई, जिस पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया लेकिन मौके पर सीमांकन नहीं किया गया तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं का राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवलोकन नहीं करवाया गया तथा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के पड़ौस में चिपते ही खसरा नम्बर 1829 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य आए दिन सीमाकंन / पत्थरगढी के अभाव में मौके पर सीमाओं, धोरा पाली व कब्जा काश्त को लेकर आपसी मन मुठाव रहता है तथा मौके पर माठो एंव सीमाओं के अभाव में हर समय विवाद की सम्भावनाएं रहती हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के मौके पर सीमाओं को लेकर कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने से विवाद की सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में सीमाकंन हेतु आवेदन किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय सोजत द्वारा दिनांक 12/07/2024 करे उक्त भूमि के सम्बन्ध में पटवारी व आर. आई. को सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया जिसकी पालना हेतु दिनांक 12/07/2024 को आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/2206—2209 की पालना में उपरोक्त खसरा संख्या 2390/1828. 2391/1828 एवं 2392/1828 के सम्बन्ध में सीमांकन कर मौका फर्द मुर्तिब की गई जिस सीमाकंन पर यह पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा सीमाकंन व पत्थरगढ़ी के अभाव में प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में सीमाओं के अभाव में तारबन्दी कर दी गई पूर्व में प्रार्थी को सीमाओं का अभाव होने से जानकारी नहीं हो सकी तथा प्रार्थी का अपने खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा कम पाया गया जो कि सीमाकंन के अभाव में हुआ हैं इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कृ

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

...ति भूमि का सीमाकंन / पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर व खसरा नम्बर 1829 रकबा 1. 1300 हैक्टर की भूमि का मौके पर सीमाकंन / पत्थरगढी करवाई जाकर मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 2/1 से 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल आदरा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर व खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.1300 हैक्टर की भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर प्रार्थी के खातेदारी ख.नं. 2390/1828 की भूमि पर बिन्दु एबीसी पर ख.नं. 1829 के खातेदारान का तारबंदी कर कब्जा पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारों को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की वास्तविक मांठ/सीमा का ज्ञान नहीं हैं। खातेदारों को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में अनावश्यक वाद–विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती हैं। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर व खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.1300 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 2390/1828 रकबा 0.8350 हैक्टर व खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.1300 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत